न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 68 / 2024

वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

1. जोगिन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह
2. रछपाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह
3. गुरविन्द्र सिंह पुत्र गुरपाल सिंह
4. जगजीत सिंह पुत्र गुरपाल सिंह

जाति समस्त रायसिख साकिन फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

–वादी

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र खण्डासिंह
2. गुरपाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह
3. प्रीतोकौर
4. करमीबाई
5. छिन्द्रकौर

(3 ता 5) पुत्रियां बलवीरसिंह

जाति समस्त रायसिख साकिन फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश सिंवल –वकील वादीगण
2. श्री बन्दुश बिश्नोई–वकील प्रति.स. 1ता5

निर्णय दिनांक :– 5.6.2024

वादीगण जोगिन्द्रसिंह वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा के तहत दिनांक 05.03.2024 को इस न्यायालय मे पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है कि प्रतिवादी स01 के नाम से चक 20 एफ.टी.पी के खाता संख्या 113 / 98 ज. स. 2072–75 में 3.542 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 20 एफ.टी.पी. के खाता संख्या 123 / 119 ज. स. 2072–75 में 5 / 22 हिस्सा अर्थात 1.265 हैक० कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 20 एफ.टी.पी. के खाता संख्या 8 / 6 ज.स. 2072–75में 2.124 हैक0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी स० 1 वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का पिता है एवं वादी संख्या 3 व 4 का दादा है। प्रतिवादी स० 1 ने वादीगण के साथ घरा घरू बंटवारनामा कर रखा है बंटवारे में प्रतिवादी संख्या 1 को 20 एफ.टीपी के खाता संख्या 113 / 98 ज. स. 2072–75 में 3.137 हैक. कृषि भूमि प्राप्त हुई है। तथा वादी संख्या 1 व 2 को 20 एफ.टी.पी. के खाता संख्या 8 / 6 ज. स. 2072–75 में 2124 हैव ब०हि.व एवं चक 20एफ. टीपी के खाता संख्या 113 / 98 ज. स. 2072–75 में 0.405 हैक. कृषि भूमि ब. हि.ब प्राप्त हुई है। तथा वादी संख्या 3 व 4 को 20एफ. टीपी के खाता संख्या 123 / 119 ज. स. 2072–75 में 1.265 है. कृषि भूमि ब.हि.व प्राप्त हुई है। अतः वादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी सं01 के हक व हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:34:00
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

की कृषि भूमि में से 2.529 है. ब.हि.ब नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। इसी प्रकार वादी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी सं01 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि में से 1.265 है. ब.हि.ब. नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी संख्या 2 वादी सख्या 3 व 4 का पिता है। प्रतिवादी संख्या 2 ने वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में 1.265 हैव. कृषि भूमि वादी संख्या 3 व 4 को घरा घरू बटवारा में दी है। प्रतिवादी संख्या 2 ने घरू घरा बटवारा मे अन्य चल व अचल सम्पति प्राप्त कर ली है। अतः वादी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी संख्या 2 के हक व हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी संख्या 1 व 2 की बहिन है तथा वादी संख्या 3 व 4 की बुआ है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में जो भी हक हिस्सा हित निहित बनता हैं का परित्याग वादीगण के पक्ष में हिस्साअनुसार कर दिया है। अब प्रतिवादी संख्या उत्ता 5 वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा नही रखना चाहते है। अतः वादीगण प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के हक व हिस्सा के हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण वाद पत्र की चरण सं० 2 में वर्णित कृषि भूमि वाद पत्र की चरण संख्या 3 ता 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मुताबिक घरा घरू बंटवारानामा अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है किन्तू कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण के विधिक एवं खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादीगण वाद पत्र की चरण सं० 2 में वर्णित कृषि भूमि को वाद पत्र की चरण सं03 ता 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण ने पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण से अलग–अलग निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के वाद पत्र की चरण संख्या 3 ता 5 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार होना मान लेवे तो प्रतिवादीगण वादीगण के इस न्यायोचित निवेदन से स्पष्ट इंकार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक नं. 20 एफ.टी.पी. खाता सं. 113/98, खाता सं. 8/6, व खाता सं. 123/119 जमाबन्दी सवंत 2072–75 EX-1 T0 EX-3 प्रदर्श हुए। साक्ष्य वादी में वादी सं. 2 रछपाल सिंह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी [illegible] की गई।

बहस उभयपक्ष में वादी अभिभाषक ने मुताबिक अनुतोष वा[illegible]क्री जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक न. 20 एफ.टी.पी. खाता सं. 113/98, खाता सं. 8/6, व खाता सं. 123/119 जमाबन्दी सवंत 2072–75 प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है। वादग्रस्त खाता अपवादित खाता की श्रेणी में आता है। प्रति.सं. 1 ता 5 का स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हुआ। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.06.18 17:34:00 I
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

स० 1 वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का पिता है एवं वादी संख्या 3 व 4 का दादा है। प्रतिवादी सं० 1 ने वादीगण के साथ घरा घरू बंटवारनामा कर रखा है। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। वादीगण द्वारा घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त संबंधित अन्य कोई विवाद सामने नही आया है। वाद वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि वादी सं. 1 व 2 को चक नं. 20 एफ.टी.पी. के खाता सं. 8/6 जं.सं. 2072–75 में 2.124 है. ब.हिब. घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 बलवीर सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। चक नं. 20 एफ.टी.पी. खाता सं. 113/98 जं.सं. 2072–75 में 0.405 है. कृषि भूमि का ब.हि.ब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बलवीर सिंह का हिस्सा 3.542 है. से घटाकर 3.137 है. किया जावे। वादी सं. 3 व 4 को चक नं. 20 एफ.टी.पी. के खाता सं. 123/119 जं.सं. 2072–75 में 1.265 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर बलवीर सिंह का नाम इस खाता से कलमजन किया जाता है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X....को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 5-6-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:34:00
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 68/2024

1. जोगिन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह
2. रछपाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह
3. गुरविन्द्र सिंह पुत्र गुरपाल सिंह
4. जगजीत सिंह पुत्र गुरपाल सिंह

} जाति समस्त रायसिख साकिन फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

–वादी

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र खण्डासिंह
2. गुरपाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह
3. प्रीतोकौर
4. करमीबाई } पुत्रियां बलवीरसिंह
5. छिन्द्रकौर

} जाति समस्त रायसिख साकिन फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 5.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिवंल अभिभाषक वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री बन्टुश बिश्नोई अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि वादी सं. 1 व 2 को चक नं. 20 एफ.टी.पी. के खाता सं. 8/6 जं.सं. 2072–75 में 2.124 है. ब.हिब. घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 बलवीर सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। चक नं. 20 एफ.टी.पी. खाता सं. 113/98 जं.सं. 2072–75 में 0.405 है. कृषि भूमि का ब.हि.ब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बलवीर सिंह का हिस्सा 3.542 है. से घटाकर 3.137 है. किया जावे। वादी सं. 3 व 4 को चक नं. 20 एफ.टी.पी. के खाता सं. 123/119 जं.सं. 2072–75 में 1.265 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर बलवीर सिंह का नाम इस खाता से कलमजन किया जाता है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...की अदा ... पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री बसबब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.6.2024 जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:34:00
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया